भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–बिदिशा

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/0008

सुधीर कुमार पुत्र श्री खिलान सिंह रघुवंशी
निवासी– ग्राम सतपाडाहाट तहसील शमशावाद जिला – बिदिशा (म.प्र.)

...........आवेदक

श्री ...... द्वारा आज दि. 30.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 07.2.18 नियत।
30.12.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

30/12/17

विरूद्ध

1 खिलान सिंह पुत्र श्री रामरतन रघुवंशी

2 द्रोप्ती बाई पुत्री रामरतन सिंह पत्नी श्री हरलालसिंह रघुवंशी

निवासीगण – हाजीपुर सिरोंज तहसील सिरोज जिला – बिदिशा (म.प्र.)

3 श्यामबाई पुत्री श्री रामरतन सिंह पत्नी गोपाल सिंह रघुवंशी

निवासी – ग्राम बिछिया तहसील शमशावाद जिला – बिदिशा म.प्र.

4 शांतीबाई पुत्री रामरतनसिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी

निवासी – ग्राम सेऊ तहसील नटेरन जिला – बिदिशा म.प्र.

5 सुत्रिमाबाई पुत्री रामरतन सिंह पत्नी गंगाराम रघुवंशी

निवासी – ग्राम गुरोद तहसील नटेरन जिला – बिदिशा म.प्र.

6 निरंजन सिंह पुत्र कमलाबाई पत्नी श्री हरीसिंह रघुवंशी

7 राजनसिंह पुत्र श्री कमलाबाई पत्नी श्री हरीसिंह रघुवंशी

8 सावित्री बाई पुत्री कमलाबाई पत्नी हरिसिंह रघुवंशी

निवासीगण – वार्ड क्रमांक 6 गीता टॉकिज गंजबासौदा जिला – बिदिशा म.प्र.

9 कृष्णाबाई पुत्री श्री कमलाबाई पत्नी हरीसिंह रघुवंशी

निवासी – धर्मकांटा के पास बरेठ रोड बासौदा जिला – बिदिशा म.प्र.

10 प्रहलाद सिंह पुत्र श्री रामरतन सिंह रघुवंशी (फोत)

(2)

11 लीलाबाई पत्नी प्रहलाद सिंह रघुवंशी
निवासी – ग्राम सतपाडाहाट तहसील शमशावाद जिला – बिदिशा म.प्र.

12 रनवीर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह

13 प्रवेश पुत्र प्रहलाद सिंह

14 रामश्रीबाई पुत्री प्रहलादसिंह
निवासीगण – ग्राम सिलवाय तहसील नटेरन जिला – बिदिशा म.प्र.

15 चन्द्राबाई पुत्री प्रहलाद सिंह रघुवंशी
निवासी – मंडी के पास त्योंदा रोड गंजबासौदा जिला – बिदिशा म.प्र.

16 मुन्नीबाई पुत्री प्रहलाद सिंह रघुवंशी
निवासी – हाजीपुर सिरोंज तहसील सिरोज जिला – बिदिशा म.प्र.

17 राकेश पुत्र श्री प्रहलाद सिंह (फोत) वारिस

18 रेखाबाई विधवा राकेश रघुवंशी

19 मुन्ना पुत्र स्व. श्री राकेश रघुवंशी

20 गुडिया नाबालिग व सरपरस्त मॉ रेखाबाई पत्नी स्व. राकेश रघुवंशी
निवासीगण – ग्राम सतपाडाहाट तहसील शमशावाद जिला – बिदिशा (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शमशाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 346/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.10.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, ग्राम सतपाडाहाट तहसील शमशावाद में स्थित भूमि कुल किता 07 कुल रकवा 2.184 है0 के भूमि स्वामी एवं मालिक रामरतन सिंह पुत्र जवाहरलाल रघुवंशी थे। रामरतन सिंह आवेदक के दादा थे उन्होने अपने जीवनकाल में वसीयतनामा द्वारा आवेदक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था।

2 यहकि, आवेदक के दादा रामरतन की मुत्यु होने पर वसीयतनामा के अनुसार आवेदक का नामान्तरण पंजी क्रमांक 3 दिनांक 06.03.1992 को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया था। और आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में नामान्तरण दिनांक 10.04.1992 को सत्यापित किया गया।

3 यहकि, इस अनुसार खतौनी किस्तबंदी वर्ष 1991–92 से सम्बत् 2042 में भी इन्द्राज भूमि स्वामी के रूप में किया गया आवेदक मौके पर काबिज होकर खेती

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/0008

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत विलंब क्षमा का आवेदन अस्वीकार करते हुए प्रकरण का अंतिम निराकरण किया है। उनका आदेश अपीलीय आदेश है जिसके विरुद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। अत: यह निगरानी प्रचलन योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। **प्रशासकीय सदस्य**	